"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"

Frequently Asked Questions [FAQ] (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्रश्न-1 क्या मध्यप्रदेश राज्य के अलावा अन्य राज्य के मूल निवासी विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते है?

उत्तर - नहीं, यह योजना केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए ही लागू है।

प्रश्न-2 क्या विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक होने पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नहीं, पात्रता हेतु विद्यार्थी के पिता/पालक की समस्त स्त्रोतों से आय रूपये 6 लाख से कम होनी चाहिये।

प्रश्न-3 क्या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नहीं, इस योजना का लाभ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा।

प्रश्न-4 क्या CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों योजना का लाभ ले सकते हैं?

उत्तर - नहीं, यह योजना CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।

प्रश्न-5 क्या जे.ई.ई. मेंस परीक्षा में 50 हजार से अधिक रैंक वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नहीं।

प्रश्न-6 मेरी जे.ई.ई. मेंस परीक्षा में 50 हजार से कम रैंक है और मैंने पृथक प्रवेश परीक्षा के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज मे प्रवेश लिया है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हू?

उत्तर - हाँ, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं परन्तु बाकि सभी पात्रता शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-7 क्या इस योजना का लाभ सामान्य जाति के विद्यार्थी भी ले सकते हैं?

उत्तर - हाँ, इस योजना का लाभ सभी जाति के विद्यार्थी ले सकते है।

प्रश्न-8 मैंने 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 2015 मे 78 प्रतिशत अंकों के साथ पास की है, तो क्या में इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर - नहीं, यह योजना केवल वर्ष 2016 या उसके पश्चात् माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा केन्द्रीय शिक्षा मण्डल/आईसीएसई के अन्तर्गत 12वीं परीक्षा निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्रों हेतु लागू होगी।

प्रश्न-9 मैंने नीट (NEET) सत्र-2017 की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर - हाँ, आप इस योजना का लाभ ले सकते है परन्तु बाकि सभी पात्रता शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-10 क्या शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए बांड भरना अनिवार्य है ?

उत्तर - हाँ, इस योजना का लाभ लेने के लिए बांड भरना अनिवार्य है। बांड की शर्ते हेतु विस्तृत आदेश का अध्ययन करने का कष्ट करें।

प्रश्न-11 मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट सत्र-2017 की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ?

उत्तर - हाँ, आप इस योजना का लाभ ले सकते है, यदि आपने CLAT के माध्यम से एन.एल.यू. मे प्रवेश प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त बाकि सभी पात्रता शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-12 योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार अप्लाई करना होगा?

उत्तर - अगर आप इस योजना की पात्रता रखते है, तो www.scholarshipportal.mp.nic.in या www.mptechedu.org पर जाकर प्रथमतः रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके उपरांत प्राप्त यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से पोर्टल पर ही आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। तत्पश्चात भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित संस्था को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित संस्था द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर आपको नियमानुसार योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

प्रश्न-13 क्या राज्य अथवा राज्य के बाहर के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज मे प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - हाँ, परन्तु बाकि सभी पात्रता शर्ते पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-14 क्या बी.एस.सी, बी.ए, बी.कॉम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमो के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नहीं, केवल मध्यप्रदेश शासन के महाविद्यालयों मे संचालित नियमित स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न-15 क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज मे प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - पॉलिटेक्निक कॉलेज मे ऐसे पाठ्यक्रमो के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जिनमे प्रवेश 12वीं की परीक्षा के आधार पर दिये जाते है।

प्रश्न-16 क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज मे प्रवेश लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नीट प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र शासन एवं मध्य प्रदेश शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश मे स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। नीट के अतिरिक्त केंद्र शासन के ऐसे मेडिकल कॉलेज जो स्वयं की परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते है, में प्रवेश प्राप्त करने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रश्न-17 ये योजना कब से प्रारंभ की गयी है ?

उत्तर - वर्ष 2017 से ।

प्रश्न-18 ये योजना किसके द्वारा संचालित की गयी है ?

उत्तर - मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा ।

प्रश्न-19 क्या हमें इस योजना मे आवास और खाने का पैसा भी दिया जायेगा ?

उत्तर - इस योजना अंतर्गत कॉलेज की पूरी फीस (कॉशन मनी एवं मेस शुल्क को छोडकर) राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।

प्रश्न-20 आवेदन के लिये किन दस्तावेजों की उपलब्धता अभ्यर्थी के पास आवश्यक हैं ?

उत्तर -

- मध्यप्रदेश का निवासी प्रमाण-पत्र
- 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंक सूची
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
- आधार नम्बर
- निजी महाविद्यालयों के प्रकरण में आधार लिंक बैंक खाता
- मदवार फीस का विवरण एवं रसीद

प्रश्न-21 क्या इस योजना का लाभ स्वाध्यायी छात्रो को भी मिल सकता है ?

उत्तर - हाँ, इस योजना का लाभ स्वाध्यायी रूप से निर्धारित अंको के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु भी लागू है।

प्रश्न-22 क्या मैं अस्थाई रूप से मध्यप्रदेश में अध्ययन करते हुए इस योजना का लाभ ले सकता हू?

उत्तर - हाँ, यदि विद्यार्थी निम्नलिखित पात्रता की शर्ते पूर्ण करता हों:-

- विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।
- विद्यार्थी पिता/पालक की आय रूपयें 6 लाख से कम हों ।
- विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।
- विद्यार्थी का आधार नम्बर हो।

प्रश्न-23 क्या इस योजना में भारत सरकार के समस्त संस्थानों मे संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स मे प्रवेश लेने पर लाभ मिलेगा?

उत्तर - हाँ, परन्तु बाकि सभी पात्रता शर्ते नियमानुसार पूर्ण करना आवश्यक होगा।

प्रश्न-24 क्या इस योजना के लाभ के लिए मेरा आधार नंबर एवं बैंक खाता आवश्यक है?

उत्तर - हाँ, इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का आधार नंबर एवं आधार लिंक बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थी को देय राशि संस्था खाते में अथवा विद्यार्थी के आधार लिंक बैंक खाते मे ही जमा करवाई जाएगी।

प्रश्न-25 क्या 12वीं की परीक्षा वर्ष 2015 मे उत्तीर्ण करने के उपरांत बी.एस. सी, बी.ए, बी. कॉम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमो के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर - नही, इस योजना का लाभ बी.एस. सी, बी.ए, बी. कॉम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमो के लिए सिर्फ 2016 अथवा 2017 मे 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा।

प्रश्न-26 क्या प्रथम आवेदन में पूर्ण भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति में शेष राशि हेतु द्वितीय आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता हैं?

उत्तर - ऐसे आवेदक जो शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पूर्ण राशि हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत नही कर सकें हैं, वह शेष राशि हेतु अपना द्वितीय आवेदन अपने लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से इस आशय हेतु मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के द्वारा प्रथम आवेदित राशि बैंक खाते में प्राप्त होने के उपरांत ही प्रस्तुत कर सकते है। द्वितीय आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार ही रहेगी। आगामी शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 से यह प्रक्रिया उपलब्ध नही करवाई जायेगी अर्थात आवेदक को पूर्ण वर्ष की राशि हेतु अपना एकल आवेदन ही प्रतिवर्ष प्रस्तुत करने की ही पात्रता होगी।

प्रश्न-27 क्या योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरांत भी आवेदन पत्र को अनलॉक करवाकर अन्य संस्था पाठयक्रम के लियें प्रस्तुत किया जा सकता है?

उत्तर - ऐसे आवेदक जिन्होने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर लिया है अर्थात जिनकी राशि संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा डिस्वर्स की जा चुकी हैं, ऐसे आवेदक प्राप्त राशि अपने बैंक खाते/संस्था के बैंक खाते के माध्यम से मुख्यमंत्री मेंधावी विद्यार्थी योजना के पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 6310000100005325, IFSC Code – PUNB0631000 में स्थानांतरित कर अपना आवेदन अनलॉक करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस खाते में नगद राशि जमा किये जाने का प्रावधान नही किया गया है। इस हेतु राशि स्थानांतरित होने के उपरांत स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लागिन एवं पासवर्ड पर से "रिकवरी" विकल्प के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया हैं। ऐसे आवेदको के आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनलॉक किये जा सकेगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी आवेदन अनलॉक किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक से प्राप्त राशि मुख्यमंत्री मेंधावी विद्यार्थी योजना के खाते में स्थानांतरित हो चुकी हैं। अनलॉक होने के उपरांत आवेदन पत्र में परिवर्तन कर अन्य संस्था/पाठ्यक्रम के लिये मुख्यमंत्री मेंधावी विद्यार्थी योजना का आवेदन जमा कर सकेगा या अन्य योजना/छात्रवृत्ति के लिये अपना आवेदन परिवर्तित कर सकेंगा।

प्रश्न-28 आधार लिंक खातें में राशि प्राप्त करने के लिये क्या आवश्यकता हैं?

उत्तर - मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदक जिनका भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में किया जाना हैं, उनके आधार की जानकारी नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया (**NPCI**) में अपडेट होना आवश्यक हैं। यह कार्यवाही आवेदक द्वारा स्वयं ही अपने बैंक के माध्यम से सुनिश्चित की जाना हैं। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में बैंक खाते आधार लिंक हैं या नही इसका परीक्षण आवेदक द्वारा आधार की अधिकृत वेबसाईट **www.uidai.gov.in** में उपलब्ध विकल्प **Check Aadhaar & Bank Account Linking Status** के माध्यम से किया जा सकता हैं।